न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–243/2019(जीसीएमएस नं. 2019/00101)

1. बालचन्द पुत्र भैरू जाति बलाई, निवासी ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (राजस्थान)।
2. लालचन्द पुत्र भैरू जाति बलाई, निवासी ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (राजस्थान)।
3. शंकर पुत्र भैरू जाति बलाई, निवासी ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (राजस्थान)।
4. गोपाल पुत्र भैरू जाति बलाई, निवासी ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (राजस्थान)।
5. हीरालाल पुत्र भैरू जाति बलाई, निवासी ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (राजस्थान)।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर (राजस्थान)।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री राकेश शेखावत, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 12.12.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–08–2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण विवादित आराजीयात के साबिक 203, 732, 731 हाल खसरा 370, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 कुल किता 10 कुल रकबा 5.52 हैक्टयर उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित हैं, जिसके अपीलार्थीगण काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। अपीलार्थीगण मौके पर साबिक नक्शे के अनुसार काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार अपनी फसल काश्त करते आ रहे हैं। हाल ही में जो नया सैटलमेन्ट हुआ है, जिसमें रकबा बीघा से हैक्टेयर में परिवर्तित किया गया हैं। उक्त सैटलमेन्ट में सैटलमेन्ट विभाग के कर्मीयों द्वारा नक्शे में नवीन तरमीम करते हुए साबिक नक्शा से जो नवीन नक्शा बनाया गया है, उस नक्शे में व साबिक नक्शे में भिन्नता कर दी गई है। नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के मुकाबले काफी सिंकुड़ा कर दिया गया है, तथा अपीलार्थीगण की आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 1025 व 1026 है, जो कि चारागाह भूमि है, उसके लगवा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण काबिज काश्त थे, जिनको नवीन तरमीम में चारागाह से दूर काबिज काश्त दर्शित कर दिया गया हैं। उक्त प्रकार की गयी त्रुटि लिपिकीय भूलवश हुई हैं, जिसे दुरूस्त किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। नवीन सेटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा त्रुटि कारित करते हुए मौके पर कब्जे के विपरीत जाकर, साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी गई, जबकि विधि अनुसार सैटलमेन्ट कर्मचारियों को इस प्रकार से तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के इस प्रकार की तरमीम नहीं की जा सकती। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य पूर्णतया विधि विरुद्ध एंव बिना क्षेत्राधिकार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है व अपीलार्थी मौके पर साबिक नक्शे में काबिज़ अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी हैं किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायिक प्रावधान पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि दिनांक 20–09–2012 को प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई, जिसे दुरूस्त करने हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी एंव पटवारी हल्का को निवेदन किया लेकिन उन्होनें दुरूस्त नहीं कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी, जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना लाजिमी होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण के समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों बिना समझे व बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार व राजस्थान भू राजस्व (सर्वे, रिकॉर्ड व भू प्रबन्ध) सरकार नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार भू प्रबन्धक विभाग को किसी भी व्यक्ति, निकाय या अन्य की भूमि के रकबे को कम या अधिक करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। भू प्रबन्ध विभाग को नक्शा किश्तवार में भूमि को घटाने या बढ़ाने का क्षेत्राधिकार भी नही है। भू प्रबन्ध विभाग को गत राजस्व रिकॉर्ड व गत सर्वेसीट के आधार पर ही सर्वे करने का अधिकार है एवं बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमि के रकबे या भूमि की स्थिति में परिवर्तन का क्षेत्राधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट प्रमाणित किया था कि अपीलार्थीगण मौके पर साबिक नक्शे के अनुसार काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार अपनी फसल काश्त करते आ रहे हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता संख्या 57 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मिलान क्षेत्रफल से हाल खसरा नम्बर से साबिक खसरा नम्बर बनना पाये जाते हैं। तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि रकबा बरारी करने पर वर्तमान जमाबन्दी रकबा 4.05 हैक्टेयर के बजाय 3.00 हैक्टेयर पाया गया है, साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा में भिन्नता है, लेकिन सैटलमेन्ट विभाग को पक्षकार कायम नही किया है, साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा का मिलान करने पर वादीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 1026 किस्म चारागाह में आ रही है। खसरा नम्बर 1026 किस्म चारागाह होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत बाधित भूमियों में हैं। इस प्रकार तहसीलदार मौजमाबाद की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण ने सैटलमेन्ट विभाग को पक्षकार कायम नही किया है, जिससे प्रकरण में पक्षकारों के संयोजन का नुक्स है एवं प्रकरण की विवादित भूमि राजस्थान सरकार की बाधित भूमियों में है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि प्रकरण में सैटलमेन्ट विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कारण बताया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रथतया तो प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण केवल भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान नक्शा किश्तवार व मिलान क्षेत्रफल में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के किये गये अवैध अंकन को दुरूस्त करवाये जाने के लिए पेश किया है जिसमें केवल लैण्ड रिकार्ड अधिकारी ही आवश्यक एवं अहम पक्षकार है। जिसे अपीलार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। इसके बावजूद यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति प्रकरण के पूर्ण और न्यायोचित निस्तारण के लिए आवश्यक एवं अहम पक्षकार है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं भी आवश्यक एवं अहम पक्षकार को प्रकरण में संयोजित कर सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सैटलमेन्ट विभाग को पक्षकार के रूप में संयोजित करवाये बाबत किसी प्रकार का कोई निर्देश दिये बिना मात्र आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के कारण अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में भारी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि देखने मात्र से यह स्पष्ट जाहिर है कि गत खसरा नम्बर का नक्शा किश्तवार व मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट विभाग ने क्षेत्राधिकार के बाहर अवैध बनाया गया है, जो गलत है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बरान का नक्शा गलत बनाया। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बरान की सही पैमाईश नही की और नक्शा किश्तवार व मिलान क्षेत्रफल गलत बना दिये, जो इन्द्राजात शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो की अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई विवेचना किये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नहीं आने से प्रश्नगत निर्णय सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण उनवानी बालचन्द बनाम सरकार प्रकरण संख्या 2118/2019 में दिनांक 21–08–2019 को पारित निर्णय एवं आदेश खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सेटलमेन्ट विभाग को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किया गया जिससे अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण था जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने जवाब पत्रांक 1266 दिनांक 06.03.2014 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि साबिक नक्शा व हाल नक्शा की रकबा बरारी करने पर भिन्नता है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू प्रबन्ध विभाग को प्रकरण में पक्षकार असंयोजन के कारण अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो कानून प्रावधान एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित है क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय को सेटलमेन्ट विभाग प्रकरण में आवश्यक पक्षकार लग रहा था तो ऐसे में कानूनन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं भी सेटलमेन्ट विभाग को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बना सकता था या अपीलार्थीगण को सेटलमेन्ट विभाग को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2019 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सेटलमेन्ट विभाग को पक्षकार संयोजित किया जाकर है एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर